In the

Reserve Bank of India

Foreign Exchange Department

Ahmedabad-380009

भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा विभाग

अहमदाबाद 380009

मैं उपस्थित/Present

जयंत कुमार दाश/Jayant Kumar Dash

क्षेत्रीय निदेशक/Regional Director

दिनांक: 29 जून 2016/ June 29 , 2016

सेफा.सीओ सं: 5487/सी.ए.अह:56 /2015-16

CEFA.CO.ID.5487/C.A.No. AHM- 56 /2015-16

प्रकरण

मे.टेकनोवा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ प्रा.लि./M/s Technovaa Plastic Industries Pvt. Ltd.

सर्वे सं:1256 /1261,राजपुर-जुलासण रोड,गाँव: राजपुर -382715,

तालुका कड़ी,जिल्ला महेसाणा

Survey no. 1256 &1261,Rajpur-Zulasan Road, Village Rajpur, -382715,
Taluka Kadi, District: Mehsana

गुजरात/ Gujarat

(आवेदक) (Applicant)

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम , 1999 की धारा 15(1) तथा इसके अंतर्गत बनाए गयी विनियम/नियम/ अधिसूचना/आदेश द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं यह आदेश पारित करता हूँ :

In exercise of the powers conferred under Section 15(1) of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Regulations /Rules/ Notifications / Orders made there under, I pass the following order:

आदेश Order

आवेदक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (फेमा) के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी विनियमों के उल्लंघनों को माफ (कम्पाउण्ड) करने हेतु दिनांक 2 फ़रवरी, 2016 को कम्पाउडिंग आवेदन दिया गया है । आवेदक ने निम्नलिखित फेमा उल्लंघनों के कम्पाउंडिंग का आवेदन दिया है: i) इक्विटी में अंशदान के लिए विदेशी मुद्रा आवक की सूचना देने में निर्धारित 30 दिन से अधिक विलंब (ii) अनिवासी को शेयर आबंटन के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्धारित 30 दिनों से अधिक विलंब से फार्म एफ़सीजीपीआर प्रस्तुत करना (iii) निर्धारित180 दिनों की अवधि के बाद शेयरों को जारी करना; यथा समय समय पर संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1 के पैरा क्रमश: 9(1)(ए), 9(1)(बी) तथा पैरा 8 [इसके बाद विनियमावली 2000 के रूप में संबोधित]

The applicant has filed compounding application dated February 02, 2016 for compounding of contraventions of the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (the FEMA) and the regulations issued there under. The contraventions sought to be compounded are (i) delay beyond 30 days in reporting receipt of foreign inward remittance towards subscription to equity (ii) delay beyond 30 days in submission of Form FC-GPR to the Reserve Bank after issue of shares to a person resident outside India and (iii) delay in allotment of shares beyond stipulated period of 180 days; in terms of paragraphs 9(1)(A), 9(1)(B) and Paragraph 8 respectively, of Schedule 1 to Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 notified, vide Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000 and as amended from time to time (hereinafter referred to as Notification No. FEMA 20/2000-RB).

2. प्रकरण के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आधीन दिनांक 8 मई 2014 को निगमित हुई तथा यह कंपनी फूटवेयर प्लास्टिक फिल्म्स के निर्माण इत्यादि की गतिविधियों में संलिप्त है। आवेदक कंपनी को विदेशी निवेशको द्वारा स्वचालित मार्ग के अंतर्गत र.1,01,49,73,574/- रुपए की चार आवक राशि प्राप्त हुई तथा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नानुसार रिपोर्ट किया गया ।

The relevant facts of the case are as follows: The applicant company was incorporated on May 08, 2014, under the provisions of the Companies Act, 1956 and is engaged in carrying on business of manufacturing of Plastic Films. The applicant company has received total four inflows amounting to Rs.1,01,49,73,574/- from Foreign investors under automatic route and reported the same to Reserve Bank of India as indicated below:

दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए)) का उल्लंघन पाया गया।

Para 9(1) (A) – Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000 – Contravention Detected: (तालिका 1) (Table -1)

क्रम स: Sr No	विदेशी निवेशक Remitter	प्राप्ति की तिथि Date of receipt	विदेशी आवक राशि(रु) Amount of foreign inward remittance (Rs)	कंपनी द्वारा एडी बैंक को सूचना की तिथि Date of reporting to AD bank by company	एडी बैंक द्वारा आरबीआई को रिपोर्ट करने की तिथि Date of reporting by AD bank to RBI	30 दिन से अधिक के विलंब की संख्या (दिनों में) * Days delay excluding prescribed time of 30 days*

1	Technovaa Plastic Industries(Mauritius) Pvt Ltd	13-05-2014	29,87,49,343	28-05-2014	17/10/2015	No Delay
2	Technovaa Plastic Industries(Mauritius) Pvt Ltd	28-05-2014	35,68,33,149	28-05-2014	17/10/2015	No Delay
3	Technovaa Plastic Industries(Mauritius) Pvt Ltd	28-05-2014	17,70,58,229	28-05-2014	17/10/2015	No Delay
		Total	**83,26,40,721**			
1	Technovaa Plastic Industries(Mauritius) Pvt Ltd	13-06-2014	18,23,32,853	06-04-2015	05/06/2015	267 Days
		Total	**18,23,32,853**			
		Grand Total	**1,01,49,73,574**			

* 9(1)(ए) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को आवक राशि को रिपोर्ट करने की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने की तिथि माना गया

∗For calculation of days of delay under 9(1)(A) reporting to AD bank has been taken as reporting to RBI.

निवेशिती कंपनी ने कुल चार आवक राशि ₹10149.73 लाख (₹1,01,49,73,574) की प्राप्ति की भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना दी । उक्त सभी चार आवक राशियों की सूचना मे से ₹83,26,40,721/- की तीन आवक राशि समय पर दी गई परंतु ₹18,23,32,853/- की एक आवक राशि की सूचना 267 दिनों के विलंब से दी गयी। जबकि अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए) के अनुसार, शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी को इन विनियमों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को यह सूचना निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार आवक राशि की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर देनी होती है।

The applicant reported the receipt of four inward remittances, amounting to Rs.10149.73/- lakh (Rs.1,01,49,73,574/-) to the Ahmedabad Regional Office of the Reserve Bank of India. Out of which, three inflows amounting to Rs.83,26,40,721/-were reported well within stipulated period. However one

inflow amounting to Rs. 18,23,32,853/- was reported with the delay of 267 days. Whereas, in terms of paragraph 9(1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing shares or convertible debentures in accordance with these Regulations should report to theReserve Bank of India as per the prescribed procedure not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration.

3. आवेदक ने इक्विटि शेयर आबंटित किए तथा निम्नानुसार एफ़सीजीपीआर फ़ाइल की ।

The applicant allotted equity shares and filed FC-GPRs as stated below:

3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) का उल्लंघन

Para 9(1) (B) – Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May3, 2000 –Contravention detected: (तालिका 2) (Table -2)

क्र मां क Sr No	विदेशी निवेशक का नाम Name of the Foreign Investor	जारी किए शेयर की संख्या No of shares issued	शेयर की राशि Amount of shares (Rs)	शेयर जारी करने की तिथि Date of issue of shares	आवेदक द्वारा एडी बैंक को एफ़सीजीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि Date of submission of FC-GPR by company to AD	एडी बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को एफ़सीजीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि Date of submission of FC-GPR by AD to RBI	30 दिन छोड़कर विलंब के दिनों की संख्या Days delay excluding prescribed time of 30 days
1	Technovva Industries Ltd, (Mauritius)	10636675	85,09,34,000	30-03-2015	05-06-2015	05-06-2015	37 Days
		Total	**85,09,34,000**				

* 9(1)(B) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने की तिथि माना गया

*For calculation of days of delay under 9(1)(B) reporting to RBI is taken .

4.उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक ने ₹85,09,34,000/- की राशि का एक फार्म एफ़सीजीपीआर फ़ाइल किया। परंतु 30 दिनों कि समय सीमा के बाद वह एफ़सीजीपीआर 37 दिनों के (1 महिना 7 दिनों) विलंब से भारतीय रिजर्व बैंक को फ़ाइल किया । जबकि 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के अनुसार शेयर जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी को इन विनियमों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को एफ़सीजीपीआर प्रारूप में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट विदेशी निवेशक को शेयर आबंटन करने के 30 दिनों के अंदर किया जाना होता है ।

As indicated in the table above the applicant has filed one form FC-GPR amounting to Rs.85,09,34,000/-with the delay of 37 days(1 month 7 days) beyond the prescribed timeline of 30 days. Whereas, in terms of paragraph 9(1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing shares in accordance with these Regulations has to submit to the Reserve Bank of India a report in form FC-GPR, along with documents prescribed therein, within 30 days from the date of issue of shares to the overseas investor.

3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन

Contravention under Para 8 of Schedule I of FEMA notification 20/2000-RB dated May 3, 2000. Contravention detected.

The details of the contravention is tabulated below: (Table -3)

Delay in issue of Shares beyond 180 days						
क्रमांक Sr No.	**निवेशक का नाम Investor**	**आवंटित शेयरो की संख्या No of Shares issued**	**प्रेषण की प्राप्ति की तिथि Date of receipt of remittance**	**आवक राशी Amount (Rs.)**	**शेयर आबंटित करने की तिथि Date of Allotment**	**180 दिन की निर्धारित अवधि को छोड़कर विलंब के दिनों की संख्या Days delay excluding Prescribed time of 180 days.**
1	Technovva Industries Ltd, (Mauritius)	10636675	13/05/2014	85,09,34,000	30/03/2015	141 Days
			Total	**85,09,34,000**		

यह पाया गया है कि आवेदक कंपनी ने विदेशी निवेशक से प्राप्त ₹1,01,49,73,574/- की कुल राशि में से ₹85,09,34,000/- के शेयर उपर्युक्त सारणी- 3 में दर्शाई गई तारीख को 180 दिन की निर्धारित सीमा के बाद 141 दिन के विलंब से, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त किया बिना आबंटित किए हैं।

इसके अलावा यह पाया है की कंपनी ने वास्तव में($ 27,45,431 @ 0.62 विनिमय दर अंतर) के बदले मे Rs.16,57,41,669/-($ 27,45,431 @ 60.37) वापस किये (वापसी के समय में डॉलर की दर के कारण Rs.17,02,095/ की अतिरिक्त वापसी) । कंपनी ने विनिमय दर में उतार-चढ़ाव वहन किया । यह उल्लंघन के रूप में नहीं माना है। इसके अलावा उपरोक्त वापसी लेनदेन 18/07/2014 को सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से धन की प्राप्ति की तारीख के 180 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर प्राधिकृत बैंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक अहमदाबाद के सलाह के तहत किया गया।

जबकि विनियमावली 20 के शैड्यूल 1 के पैरा 8 के प्रावधानों के अनुसार यदि शेयर 180 दिनों के अंदर आबंटित नहीं किए जा सके तो प्राप्त राशि को निवेशक को वापिस किया जाना होता है बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक पर्याप्त कारणों के होने पर, इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर, 180 दिनों के बाद भी राशि वापिस करने कि अनुमति देता है । विनियमावली 20 के पैरा 8 के प्रावधानों में विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली 2007, को जारी करके संशोधन किया गया और भारत सरकार के आधिकारिक गज़ट में दिनांक 13 नवम्बर 2007 की अधिसूचना संख्या फेमा 170/2007-आरबी द्वारा अधिसूचित किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 14 दिसम्बर 2007 के एपी(डीआईआर) परिपत्र सं. 20 के पैरा 5 के अनुसार उन सभी मामलों में जहां दिनांक 28 नवंबर 2007 की स्थिति के अनुसार निधियां प्राप्त होने की तिथि से 180 दिन बीत चुके हैं तथा शेयर जारी नहीं किए गए हैं वहां कंपनी द्वारा अपने एडी श्रेणी-1 बैंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को, विस्तृत ब्यौंरो सहित, निश्चित समय सीमा के अंदर शेयर आबंटन/ धन वापस करने की योजना के साथ विशिष्ट अनुमोदन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है। इस प्रकार कंपनी ने दिनांक 3 मई, 2000 आरबी की अधिसूचना फेमा 20/2000 की अनुसूची 1 के पैरा 8 में निर्धारित किये प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

It is observed that the shares were allotted on date indicated in above table -3 for the consideration amount of ₹85,09,34,000/-with the delay of 141 days beyond stipulated period of 180 days without obtaining prior approval from Reserve Bank of India. Although the company has issued shares for Rs.85,09,34,000/- out of total consideration amount of Rs.101,49,73,574/- received the Company has actually refunded Rs.16,57,41,669/-($27,45,431@ 60.37) as per dollar rate at the time of refund resulting in excess refund of Rs.17,02,095/-($27,45,431@0.62 exchange rate difference).The company has borne the exchange rate fluctuation. It is not construed as contravention. Further above refund transaction took place on 18/07/2014 through normal banking channel within 180 days from the date of receipt of the funds through AD bank under advice to RBI Ahmedabad.

Whereas, in terms of Para 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, if the shares are not issued within 180 days from the date of receipt of the inward remittance, the amount of consideration so received shall be refunded to the person concerned, provided the Reserve Bank may, on an application made to it and for sufficient reasons permit to refund the amount of consideration received towards issue of security, if such amount is outstanding beyond a period of 180 days from the date of receipt. The amendment in paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB was introduced by issue of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident outside India) (Third Amendment) Regulations, 2007 notified vide, Notification No. FEMA 170/2007-RB dated November 13,2007 in the official Gazette of the Government of India. Further in terms of paragraph 5 of AP(Dir series) Circular No.20 dated December 14, 2007, in all cases where, as on November 28, 2007, 180 days have elapsed since receipt of funds and the equity instruments have not been issued, the companies are required to approach the Foreign Exchange Department of the Regional Office concerned of the Reserve Bank through their AD Category-1 bank with a definite action plan weather for allotment of equity instruments or for refund of

the advance, with full details, for specific approval. Thus, the company stands to contravene the provisions stipulated in Paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000 .

5. आवेदक को दिनांक 17 जून 2016 के हमारे पत्र संख्या एफ़ई.अह.3881 /01.07.06(T) 2015-16 द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं उपस्थित होकर तथा/ अथवा दस्तावेज यदि कोई हो, प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक अवसर दिया गया । व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 22 जून 2016 को कंपनी सचिव श्री केयूर शाह, तथा सुश्री पूजा शाह, कंपनी सचिव ने आवेदक का प्रतिनिधित्व किया। आवेदक के प्रतिनिधियों ने माना कि उनसे उपर्युक्त स्पष्ट किए गए उल्लंघन हुए हैं जिनके लिए माफी मांगी गई है और कहा कि प्रवर्तक को फेमा के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाओं से संबंधित जानकारी न होने के कारण ऐसा हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इस प्रकार की अनिवार्य अपेक्षाओं के बारे में पता नहीं था लेकिन उन्होंने ऐसा फॉर्म अनुबंध-II तथा एफसी-जीपीआर को समय पर भरने से बचने के लिए जानबूझकर नहीं किया था। उन्होंने ने अनुरोध किया कि इसपर सकारात्मक विचार किया जाए। वे अपने आवेदन के संबंध में कंपाउंडिंग प्राधिकारी के किसी भी निर्देश/ आदेश को स्वीकार करने को तैयार हैं।

The applicant was given an opportunity for personal hearing vide our letter FE.AH. No.3881/01.07.06(T) 2015-16 dated June 17,2016 for further submission in person and /or producing documents, if any, in support of the application. The applicant appeared for the personal hearing on June 22, 2016 during which company secretaries Mr. Keyur Shah and Ms. Pooja Shah represented the applicant. They admitted to the contraventions for which compounding has been sought and stated that the delay was caused due to lack of knowledge on the part of the promoter about the reporting requirements under FEMA as they admitted that they were not aware of such mandatory requirements but had no wilful intention to avoid to timely filling of form Annexure-ii and FC-GPR and requested to take lenient view. They also stated that they are willing to accept any direction/ order of the Compounding authority in connection with their compounding application.

6. आवेदक के प्रतिनिधि ने प्रार्थना की कि उपरोक्त परिस्थितियो को देखते हुए आवेदन के निपटान में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए। अतः कम्पाउंडिंग के लिए किए गए आवेदन पर आवेदक द्वारा किए गए प्राक्कथनों तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा इस संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरणों के आधार पर विचार किया गया है।

The representative of the applicant requested that in view of the foregoing, a lenient view may be taken in disposal of the application. The application for compounding is, therefore, being considered on the basis of the averments made in the application as well as other documents and submissions made in this context by the applicant during personal hearing and thereafter.

7. मैंने रेकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान तथा तद्पश्चात आवेदक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। मेरे अनुसार आवेदक ने निम्नलिखित फेमा प्रावधानों का निम्नानुसार उल्लंघन किया है:

I have given my careful consideration to the documents on record and submission made by the applicant during the personal hearing and thereafter. Accordingly, I hold that the applicant has contravened the following FEMA provisions issued in terms of:

अ) विनियमावली 20/2000 -आरबी दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (ए) का उल्लंघन : इस आदेश के पैरा 2 में उल्लिखित विदेशी मुद्रा के सम्प्रेषण की तिथि के 30 दिनों के बाद आवक राशि का भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग यथा विनियमावली 20 की अनुसूची 1 के पैरा 9(1) (ए) का उल्लंघन । इस संबंध में उल्लंघन राशि 1823.32 लाख (₹18,23,32,853/-) है तथा 30 दिन की अवधि के बाद विलंब की अवधि लगभग 9 माह की है।

Paragraph 9(1)(A) of Schedule 1 to Notification No.FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000: Due to delay in reporting of receipt of foreign inward remittances towards shares as detailed in paragraph 2 above. The contravention relates to ₹1823.32 lakh(₹18,23,32,853/-) with delay of approximately 9 months beyond the stipulated time of 30 days.

ब) 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) का उल्लंघन : पैरा 3 में दिये विस्तृत ब्योरे के अनुसार भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को शेयर जारी करने के बाद फार्म एफ़सीजीपीआर में विलंब से रिपोर्टिंग करने से 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) का उल्लंघन। इस उल्लंघन के लिए उल्लंघन राशि ₹8509.34 lakh (₹85,09,34,000/-) ली गयी है तथा विलंब की अवधि लगभग 2 माह की मानी गयी है ।

Paragraph 9(1)(B) of Schedule 1 of FEMA Notification FEMA 20/2000 – RB dated May 3, 2000 : Due to delay in submission of form FC-GPR, after issue of shares to persons resident outside India as detailed in paragraph 3 above. The amount involved is ₹8509.34 lakh (₹85,09,34,000/-) and the delay is for approximately 2 months.

क) 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 8 काउल्लंघन: उपरोक्त पैराग्राफ में दी गई प्राप्ति की तिथियों से 180 दिनों की निर्धारित समय सीमा के बाद शेयर का आबंटन किए जाने के कारण उल्लंघन । इस उल्लंघन के लिए उल्लंघन राशि ₹8509.34 lakh (₹85,09,34,000/-)ली गयी है तथा विलंब की अवधि 141 दिनो की मानी गयी है ।

Paragraph 8 of Schedule I of FEMA NotificationFEMA20/2000- RB dated May 3, 2000: Due to delay in allotment of shares beyond stipulated period of 180 days from date of receipts detailed in Paragraph above . The amount involved is ₹8509.34 lakh (₹85,09,34,000/-) and the delay is for 141 days approximately.

8. फेमा की धारा 13 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो न्यायिक प्रक्रिया के बाद वह उल्लंघन राशि के तीन गुना तक के दंड के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु ऊपर के पैरा में उल्लिखित मामले की परिस्थितियों तथा संबंधित साक्ष्यों को ध्यान में लेते हुए उनके आधार पर मैं उल्लंघनों को कम्पाउंड

करने की राशि के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य हूँ तथा मानता हूँ कि ₹26,94,802/-(छबीस लाख चोरानबे हजार आठसौ दो रुपए मात्र) न्याय की अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

In terms of Section 13 of the FEMA, any person contravening any provision of the Act shall be liable to a penalty up to thrice the sum involved in such contravention upon adjudication. However, taking into account the relevant facts and circumstances of the case as stated in the foregoing paragraphs, I am persuaded to take a lenient view on the amount for which the contraventions are to be compounded and therefore, I consider that an amount of ₹26,94,802/-(Rupees twenty six lakh ninety four thousand eight hundred two only) will meet the ends of justice.

9.तदनुसार, फेमा (कम्पौंडिंग कार्यवाही) नियम 2000 के अंतर्गत ₹26,94,802(छबीस लाख चोरानबे हजार आठसौ दो रुपए मात्र) की दंडात्मक राशि के भुगतान पर मैं उपर्युक्त चर्चित तथ्यों पर आवेदक द्वारा माने गए उल्लंघनों, यथा 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए), पैरा 9(1)(बी) तथा पैरा 8 के उल्लंघन, को कम्पाउण्ड करता हूँ । इस आदेश के 15 दिन के भीतर आवेदक को "भारतीय रिजर्व बैंक" के पक्ष में दंडात्मक राशि ₹26,94,802/-(छबीस लाख चोरानबे हजार आठसौ दो रुपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, ला गज्जर चेंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380009 के पास जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर दंडात्मक राशि को जमा नहीं करने पर विदेशी मुद्रा (कम्पौंडिंग कार्यवाही) दिनांक 3 मई 2000 के नियम 10 लागू होंगे।

Accordingly, I compound the admitted contraventions, namely contravention of paragraph 9(1) (A), 9(1) (B) and paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 03, 2000, by the applicant, on the facts discussed above in terms of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 on payment of an amount of ₹26,94,802/- (Rupees twenty six lakh ninety four thousand eight hundred two only) which shall be deposited by the applicant with the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, La-Gajjar Chambers, Ashram Road, Ahmedabad – 380 009 by a demand draft drawn in favour of the "Reserve Bank of India" and payable at Ahmedabad within a period of 15 days from the date of this order. In case of failure to deposit the compounded amount within the above mentioned period, Rule 10 of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 dated May 3, 2000 shall apply.

आवेदन तदनुसार निपटाया गया ।
The application is disposed of accordingly.

दिनांक: 29 जून 2016 को जारी
Dated the 29th day of June, 2016.

Sd/-

(जयंत कुमार दाश/Jayant Kumar Dash)
क्षेत्रीय निदेशक/Regional Director